

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 3348 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 06/06/2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में राम मंदिर से सिराड़ी गॉव प्राथमिक विद्यालय ठठौली ससपोड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.71 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/149153/2021)

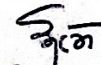
सन्दर्भ :- आपका पत्रांक- 2403/12-1 दि० 29.03.2025

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़, के पत्रांक- 7056/12-1 दिनांक- 29.05.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- उक्तानुसार।

भवदीय



(डॉ धीरज पाण्डेय)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

व/

प्रति ध्याता

03 JUN 2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/ 05964-225234

पत्रांक: 7056/12-1

दिनांक, पिथौरागढ़,

29 मई, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में राम मंदिर से सिराड़ी गॉव प्राथमिक विद्यालय ठठौली ससपोड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.71 है० वनभूमि का गैर वानकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रपोजल नं० FP/UK/ROAD/149153/2021)

सन्दर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्रांक 2403/12-1 दि० 29-03-2025।

महोदय,
उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निम्नानुसार निराकरण कर निम्नवत प्रेषित है :-

क्र. सं०	माँगी गई सूचना	उत्तर
1	वॉंछित सूचना के बिन्दु संख्या-4 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित दो पैचों की के०एम०एल० फाईल जिसमें एक पैच 1.24 है० एवं दूसरा पैच 2.00 है० अर्थात् कुल 3.24 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के०एम०एल० फाईल ऑन लाईन अपलोड की गई है जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.42 है० क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु (2 पैच 3.24 है०) की के०एम०एल० संशोधित कर (3.42 है०) की के०एम०एल० फाईल ऑन लाईन पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करते हुये हार्ड प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	बिन्दु संख्या-4 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित दो पैचों (पहल पैच 1.24 है० एवं दूसरा पैच 2.00 है०) की के०एम०एल० फाईल ऑन लाईन अपडेट कर दी गई है अर्थात् वृक्षारोपण हेतु 3.24 है० के स्थान पर 3.42 है० की संशोधित के०एम०एल० फाईल तैयार कर ऑन लाईन पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड कर दी गई है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।